

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया गांधीनगर -

पूंजीगत वस्तुओं के आयात की प्रक्रिया

एसटीपी6 ईएचटीपी इकाइयां एफटीपी के पैरा/. 01(डी और एफटीपी की प्रक्रिया पुस्तिका के (6. के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का 04आयात कर सकती हैं। निम्नलिखित आयात प्रकारों की अनुमति है:

1. सीधी खरीद
2. ऋण आधार
3. निःशुल्क
4. बॉन्ड से बॉन्ड बिक्री
5. उच्च समुद्र बिक्री
6. लीज़ आधार 6 एफटीपी के पैरा).6 और एचबीपी के पैरा 03.(के अनुसार 04
7. सेकेंड हैंड 6 एफटीपी के पैरा).और एचबीपी 02 के पैरा 6.(के अनुसार 04

एसटीपीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

1. अनुरोध पत्र
2. प्रोफार्मा चालान
3. निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन
4. निर्धारित प्रारूप के अनुसार सेकेंडहैंड पूंजीगत सामान के मामले में घोषणा-

प्रोफार्मा चालान में सभी आयातों के लिए आयात प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

यदि आयात किए जाने वाले पूंजीगत सामान हाई सी सेललीज आधार पर हैं/, तो संबंधित अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।

यदि आयात किए जाने वाले पूंजीगत सामान सेकेंडहैंड पूंजीगत सामान हैं-, तो चालान में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि सामान इस्तेमाल किया हुआहैंड है और उस सीमा तक -सेकेंड/ घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया गांधीनगर -

अनुमोदन प्रक्रिया:

इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और यदि विवरण संतोषजनक पाए जाते हैं तो आयात अनुरोधों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, विधिवत हस्ताक्षरित प्रोफार्मा चालान के साथ अनुमोदन जारी किया जाएगा। एसटीपीईएचटीपी इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की औपचारिकताओं के लिए एसटीपीआई द्वारा जारी आयात अनुमोदन के साथ केंद्रीय कर अधिकारियों से संपर्क करें।/संबंधित सीमा शुल्क

प्रारूप:

1. पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन
2. अनुलग्नक IV – सेकेंड हैंड वस्तुओं के आयात के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र-

पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए तिमाहीवार्षिक आधार पर आवधिक अनुमति प्राप्त करने /अर्धवार्षिक/ की प्रक्रिया

सीबीईसी अधिसूचना संख्या 68/2017-सीमा शुल्क के मद्देनजर 2017 जून 30 दिनांक (.टी.एन), एसटीपी ईएचटीपी इकाइयां पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवधिक अनुमति के लिए/ मामला दर मामला आधार के बजाय तिमाहीवार्षिक आधार पर आवेदन कर सकती /वार्षिक-अर्ध/ हैं।

एसटीपीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

1. आवधिक आयात अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध पत्र (वार्षिक)
2. आयात किए जाने वाले पूंजीगत सामानों की सूची, जिसमें पूंजीगत सामानों का विवरण, HSN/ITC कोड, माल की मात्रा और मूल्य, लागू छूट अधिसूचना का विवरण और आयात का बंदरगाह शामिल है।(नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार)
3. घोषणा जिसमें कहा गया हो कि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत सामानों का उपयोग केवल बॉन्डेड परिसर में ही किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया गांधीनगर -

अनुमोदन प्रक्रिया:

इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और यदि विवरण संतोषजनक पाए जाते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए व्यापक अनुमति प्रदान की जाएगी। इकाई जारी किए गए अनुमोदन के विरुद्ध किए गए वास्तविक आयात पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रारूप:

[आयातित पूंजीगत वस्तुओं की आवधिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन](#)

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए:

हमें GNR.EXIM@stpi.in पर मेल करें

079-66748531, पर 32संपर्क करें